12. Madhya Pradesh	302.6
13. Maharashtra	324.7
14. Manipur ..	34.0
15. Mizoram	54.0
16. Mekhalaya	34.0
17. Orissa	193.0
18. Punjab	86.8
19. Rajasthan	233.1
20. Sikkim	34.0
21. Nagaland	34.0
22. Tamilnadu	326.5
23. Tripura	34.0
24. Uttar Pradesh	723.0
25. West Bengal	487.5
TOTAL:	4488.0

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत उत्तर प्रदेश की रुग्ण इकाईयां

*37. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या प्रधान मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत उत्तर प्रदेश की रुग्ण औद्योगिक इकाईयां कौन-कौन सी हैं ;

(ख) किस राज्य में सर्वाधिक रुग्ण औद्योगिक इकाईयां हैं; और

(ग) इन इकाईयों को व्यवहार्य बनाने की क्या योजनायें हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई० एफ०आर०) के अनुसार 31-10-94 को उनके पास पंजीकृत हुए उत्तर प्रदेश के रुग्ण एककों के मामलों की संख्या 157 है। इनमें 32 मामले समर्थन योग्य नहीं पाये गये थे, 27 मामलों के लिए पुनर्स्थापना योजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित/क्रियान्वित की गई थी और 36 मामलों को बन्द करने की सिफारिश की गई थी।

(ख) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं। सितम्बर, 1992 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या सर्वाधिक है।

(ग) सरकार ने रुग्ण तथा बन्द औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए कई उपाय किये हैं। उनमें से कुछेक महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय।

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष अनुबन्ध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने

के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाईयों की पुनः स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की पुनर्स्थापना की जाती है। स्वस्थ एककों को समामेलित रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के तहत कर लाभ दिये जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित श्रमिकों की प्रतिपूर्ति की भुगतान करता है।

(7) भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु इकाईयों को फिर से खोलने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित राज्यों सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समितियां (एस०एल०आई०आई०सी०) स्थापित की है।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, को 1 % वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपए तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(9) अत्यंत छोटे और लघु उद्योगों के लिये एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना की गई है।

जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना हेतु एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

Explosition of Ammunition Factory Khadki

*38. SHRI SURESH KALMADI : SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:..

(a) whether it is a fact that a massive explosion rocked the ammunition factory at Khadki near Pune on 10th October, 1994;

(b) if so, what was the loss of life and property as a result thereof;

(c) whether any probe was held into the incident; and

(d) if so, what have been the findings thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) An explosion took place in one building of the Ammunition Factory, Khadki on 10 October, 1994.

(b) Nine workmen lost their lives and building and material worth Rs. 18 lakhs got destroyed.

(c) and (d) A seven member high level Technical Board of Enquiry headed by Controller Quality Assurance (Ministry Explosives), an independent officer not under the control of Ordnance Factory Board, has been set up to inquire into the mishap. The findings of the Board of Inquiry with comments of Odrnance Factory Board are expected to be received shortly.